

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-17  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100527

दिनांक: 27/02/2026

लोक सूचना

श्री RAJDHANI SIKSHA SAMITI AS SECRETARY MR GOPESH KUMBHAJ पुत्र श्री AS SECRETARY GOPESH KUMBHAJ SON DR SK KUMBHAJ जाति BRAHMIN निवासी 27-A, BARKAT NAGAR, TONK FATAK, LUV KUSH NAGAR 2, WARD NO. 19, LALKOTHI, GANDHI NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN 302015

श्री RAJDHANI SIKSHA SAMITI AS MEMBER DEVENDRA KUMAR SHARMA पुत्र श्री AS MEMBER DEVENDRA KUMAR SHARMA जाति BRAHMIN निवासी 27-A, BARKAT NAGAR, TONK FATAK, LUV KUSH NAGAR 2, WARD NO. 19, LALKOTHI, GANDHI NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN 302015

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	रामपुरा, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) राजधानी शिक्षा समिति जरिये सचिव राजेश पोरवाल पुत्र मदनलाल महाजन हिस्सा पूर्ण जाति N / A नि.7 / 200 मालवीय नगर जयपुर सदस्य राजधानी शिक्षा समिति गोपेश कुम्भज पुत्र श्रीकृष्ण कुम्भज जाति ब्राह्मण सदस्य देवेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्रा. नि. जयपुर खातेदार	1092/609	0.209	0.209
<b>कुल</b>					<b>0.209</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को

आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **27-02-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)  
DAINIK BHASKAR & SAMACHAR JAGAT

प्राधिकृत अधिकारी जोन-17  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

